क्रम-संख्या—149

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अप्रैल, 2008
चैत्र 28, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–5

संख्या 1213/1-5-08-रा0-5

लखनऊ, 17 अप्रैल, 2008

अधिसूचना

प० आ०-295

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0 पी0 अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कांशीरामनगर नाम से एक नया जिला सृजित करते हैं जिसमें जिला एटा की वर्तमान तहसील कासगंज, तहसील पटियाली तथा तहसील सोरों में सम्मिलित क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जिला मुख्यालय कासगंज में होगा और उक्त दिनांक से वर्तमान जिला एटा की सीमाओं को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं, जिससे कि नवसृजित जिला कांशीरामनगर में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर शेष वर्तमान क्षेत्र उसमें समाविष्ट होंगे।

2–राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1213/1-5-08-77/2008-Rav.-5, dated April 17, 2008 for general information :

No. 1213/1-5-08-77/2008-Rav.-5

Dated Lucknow, April 17, 2008

IN exercise of the powers under section 11 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904), the Governor in partial modification of notifications issued in this behalf, is pleased to create with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, a new district by the name of Kanshiram Nagar comprising the areas included in the existing Kasganj Tehsil, Patiali Tehsil and Soron Tehsil with its Headquarters at Kasganj and to alter with effect from the said date, the limits of the existing district of Etah so as to comprise the existing areas except those included in the newly created district of Kanshiram Nagar.

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall effect any legal proceedings already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order

BALVINDER KUMAR,

Pramukh Sachiv.